of ½ to 1 million tons per year for a period of five years and he has agreed in principle. Formal proposal has been given to him in writing. The proposal is with the Russian Government and we have yet to hear from them.

Accident at Yalvigi Railway Station
(S. Rly.)

*1240. SHRI KAMESHWAR SINGH :
SHRI A. SREEDHARAN ;

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have paid compensations to the families of fifty-three persons who were killed and also forty-two persons who were injured in the Yalvigi Railway accident on Southern Raiway on the 19th March, 1968 ;

(b) if so, the amount of compensation paid to each ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) to (c). Claims for compensation arising out of this accident will be determined by the Claims Commissioner to be appointed under Section 82-B of the Indian Railways Act, 1890. The question of appointing a Claims Commissioner in this case is under consideration in consultation with the State Government of Mysore and the Ministry of Home Affairs.

However, ex-gratia payment aggregating to Rs. 21,900 has so far been made.

भारतीय रेलवे इंजीनियरी निरीक्षक संघ का ज्ञापन

*1241. **श्री बालराज मधोक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को भारतीय रेलवे इंजीनियरी निरीक्षक संघ की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) शायद माननीय सदस्य का आशय इंडियन रेलवेज इंजीनियरिंग इंस्पेक्टर्स ऐसोसिएशन की पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रीय यूनिट द्वारा भेजे गये ज्ञापन से है ।

(ख) इस ज्ञापन की जांच की गयी है और जहां आवश्यक है, समुचित कार्रवाई करने के लिए रेल प्रशासन से कहा गया है ।

घटिया किस्म की वस्तुओं का निर्यात

*1242. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा निर्यात की गई अथवा की जा रही वस्तुओं के स्तर और किस्म के बारे में सरकार को हाल में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी वस्तुओं के निर्यातकों के विरुद्ध वस्तुओं के स्तर और किस्म को गिराने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) क्या ऐसे निर्यातकों की काली सूची तैयार कर ली गई है तथा क्या उन्हें कोई दण्ड दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत से निर्यातित माल के स्तर और किस्म के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं परन्तु निर्यात व्यापार के परिमाण और विविधता की तुलना में उनकी संख्या नगण्य है ।

(ख) घटिया माल के निर्यात को रोकने के लिये निर्यात (गुण नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम 1963 में अधिनियमित हुआ था तथा 1.1.64 से लागू किया गया था । निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में से 85 प्रतिशत से भी अधिक वस्तुएं अनिवार्य गुण नियंत्रण तथा लदान पूर्वक निरीक्षण की प्रणाली के अन्तर्गत लाई गई है । इस माल में कच्ची कृषि उपज से लेकर अर्ध-तैयार तथा तैयार वस्तुएं तक शामिल हैं ।

(ग) अधिनियम के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिये अधिनियम में दण्ड-व्यवस्था है ।